रमन टेक एंड प्रोसेस इंजी. कॉर्पोरेशन व अन्य

बनाम

सोलंकी ट्रेडर्स

20 नवम्बर, 2007

(आर.वी. रविन्द्रन एवं पी. सदाशिवम, जस्टिस)

सिविल प्रकिया संहिता, 1908

आदेश 38 नियम 5, प्रतिवादी को दावे के लिए सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश - निर्णीत- आदेश 38 नियम 5 एक कठोर और असाधारण शक्ति है जिस शक्ति का उपयोग यंत्रवत नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग विधि के प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक उपयोग करते हुए संयम के साथ किया जाना चाहिए। आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य असुरक्षित ऋण को सुरक्षित ऋण में बदलने का नहीं है। वादी द्वारा आदेश 38 नियम 5 के तहत किए जाने वाले किसी भी प्रयास को जो प्रतिवादी को दावे में समायोजन के लिए दबाव बनाये उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आदेश 38 नियम 5 के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व वादी को प्रथम दृष्ट्या यह बताना पड़ेगा कि उसका दावा सद्भाविक और वैध है और न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ेगा कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरूद्ध पारित की जा सकती है, निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से अपनी पूरी संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग को व्ययनित करने वाला है या हटाने वाला है। न्यायालय को निर्णय के पहले कुर्की दिये जाने के सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रतिवादी को सिर्फ इस कारण से कि कोई दावा उसके विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया गया है या किया जाने वाला है के आधार पर

उसकी संपत्ति से व्यवहार करने से रोका जाना नहीं है। व्यापार को एक परिसर से दूसरे परिसर पर स्थानान्तरित करने या यंत्रों को एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरित करना अपने आप में निर्णय के पहले कुर्की जारी करने का आधार नहीं है। तथ्यों के अनुसार दावे में अनुतोष का विनिर्दिष्ट नहीं होना। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र को इस आधार पर खारिज किया कि प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला बनना बताने में असफल रहा। इसलिए क्या प्रतिवादी उसके विरूद्ध पारित की जा सकने वाली डिक्री को निष्फल करने के लिए यंत्रों को स्थानान्तरण करने का प्रयास कर रहा था, के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होने के तथ्यों को अनदेखा किया गया है और प्रार्थना-पत्र खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है और विचारण न्यायालय के आदेश को पुर्नस्थापित किया जाता है।

प्रेमराज मूंदडा बनाम मोहम्मद मनेक गाजी, एआईआर 1951 कलकता 156, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील नंबर 6171/ 2001।

सीआरपीसी सं0 3377/2000 में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद बैंच के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.10.2000 से।

अधिवक्ता डी महेश बाबू अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया-

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा ओ.एस. नंबर 143/2000 प्रतिवादी से 99,200/- रूपये की वसूली के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन, मेडचल में दायर किया गया।

2. वादी ने आदेश 38 नियम 5 के तहत एक प्रार्थना-पत्र इस प्रार्थना के साथ पेश किया कि प्रतिवादी से दावा अनुतोष की प्रतिभूति हेतु निर्देश दिया जायें और यदि वह विफल रहें तो निर्णय के पहले कुर्की जारी की जायें। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.08.2000 के द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रतिवादी को बिल की राशि के भुगतान के एवज में दिये गये दो पोस्ट डेटेड चैक अनादरित हो गये हैं, उक्त चैकों के बारे में किसी भी तथ्य का ना तो खुलासा किया गया ना ही उनके अनादरित होने की दिनांक वर्णित की गयी। मात्र अभिवचन कि 99,200/- रूपये प्रतिवादी पर बकाया है प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि प्रतिवादी ने दावा अनुतोष को अस्वीकार किया है।

3. वादी द्वारा उक्त निर्णय को पुनरीक्षण के द्वारा चुनौती दी गयी, उच्च न्यायालय में वादी द्वारा बताया गया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नाम के बोर्ड हटा लिये गये हैं और उनके द्वारा यंत्रों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटाया जा रहा था। वादी द्वारा, प्रतिवादी द्वारा अपनी संपत्ति को उनके व्यापारिक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरित करने में पुलिस को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए दायर रिट याचिका (डब्ल्यूपी नंबर 11855/2000) की भी प्रतिलिपि उपलब्ध की गयी। उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 13.10.2000 के द्वारा पुनरीक्षण याचिका को मंजूर किया इस निष्कर्ष के साथ कि विचारण न्यायालय को इस तथ्य पर कि प्रतिवादी द्वारा यंत्रों को हटाये जाने का प्रयास किया जा रहा था इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए था, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दावा अनुतोष के लिए प्रतिभूति विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार चार सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश को इस अपील में विशेष अनुमति याचिका द्वारा चुनौती दी गयी।

4. आदेश 38 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता की योजना तथा शब्दों का प्रयोग- यह स्पष्ट करता है कि उपरोक्त नियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व न्यायालय संतुष्ट होना चाहिए कि वाद में प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारित करने की युक्तियुक्त संभावना है। इसका तात्पर्य होगा कि न्यायालय संतुष्ट है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित है यदि वाद के अभिवचनों तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से न्यायालय के संतोषप्रद प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनना पाया जाता है तो न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 38 नियम 5 सीपीसी के तहत वादी के हितों को संरक्षित करने हेतु अगले चरण की ओर परीक्षण नहीं करेगा। यह सुस्थापित है कि मात्र उचित व वैध अनुतोष या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में होने से वादी निर्णय से पूर्व कुर्की के आदेश के लिए अधिकारी नहीं है। जब तक कि वह यह प्रमाणित नहीं कर दे कि प्रतिवादी उसके विरूद्ध पारित की जाने वाली डिक्री के निष्पादन को बाधित करने के आशय से अपनी संपत्ति को व्ययनित या हटाने वाला है। समान रूप से अच्छी तरह से व्यवस्थित स्थिति है कि जहां प्रतिवादी अपनी संपत्ति को व्ययनित या हटा रहा हो वहां निर्णय से पूर्व कुर्की के आदेश जारी नहीं किए जा सकतें यदि वादी प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित करने में विफल रहा हो।

5. आदेश 38 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता एक कठोर और असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग यंत्रवत या मात्र औपचारिकता के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उपयोग संयमता तथा नियमों के अनुसार कठोरता से किया जाना चाहिए। आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य असुरक्षित ऋण को सुरक्षिण ऋण में बदलना नहीं है। उदाहरणतः यह मंश नहीं है कि अनैतिक वादी द्वारा तुच्छ और संदिग्ध दावा अनुतोष पेश कर कुर्की के खतरे में डालकर निर्णय पूर्व कुर्की के आदेश प्राप्त कर प्रतिवादी को न्यायालय के बाहर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जाये।

6. प्रतिवादी को सिर्फ इस कारण से कि कोई दावा उसके विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया गया है या किया जाने वाला है के आधार पर उसकी संपत्ति से व्यवहार करने से निर्हरित नहीं किया जाना चाहिए। व्यापार को एक परिसर से दूसरे परिसर पर स्थानान्तरित करने या यंत्रों को एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरित करना अपने आप में निर्णय के पहले कुर्की जारी करने का आधार नहीं हो सकता। आदेश 38 नियम 5 के तहत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व वादी को प्रथम दृष्ट्या यह बताना पड़ेगा कि उसका दावा सद्भाविक और वैध है और न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ेगा कि प्रतिवादी ऐसी किसी डिक्री के जो उसके विरूद्ध पारित की जा सकती है, के निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय से अपनी पूरी संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग को व्ययनित करने वाला है या हटाने वाला है। न्यायालय को निर्णय के पहले कुर्की दिये जाने के सिद्धान्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए। (प्रेमराज मून्दडा बनाम मोहम्मद मनेक गाजी एआईआर 1951 केल 156)

7. इस प्रकरण में दावे का अनुतोष 99,200/- है। दावा पेश करने से पूर्व दो चैक राशि 22,487/- के अनादरण के लिए नोटिस जारी किये जा चुके थे। दावे में अनुतोष के तथ्य विर्निष्ट नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि वादी प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है इसलिए क्या प्रतिवादी उसके विरूद्ध पारित की जा सकने वाली डिक्री को निष्फल करने के लिए यंत्रों को स्थानान्तरण करने का प्रयास कर रहा था, के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। इसके विपरीत उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होने के तथ्यों को अनदेखा किया गया है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रयोग करते हुए आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत अनुतोष असाधारणतः इस तथ्य के आधार पर दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा उसकी संपत्ति दूसरे परिसर में स्थानान्तरित की गयी।

8. तथ्यों और परिस्थितयों के अनुसार उच्च न्यायालय को प्रार्थना-पत्र खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त करते हैं तथा विचारण न्यायालय का आदेश पुर्नस्थापित करते हैं।

आर.पी. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डाॅ. प्रियंका पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।